<u>न्यायालय सिविल जज (जू0डि0),टाण्डा, अम्बेडकरनगर।</u>

मूलवाद सं0 457/98

सीएनआर नं0 यूपीएएन120011652019

नेवास अली––– बनाम–– मुस्तफा आदि

दिनांक

<u>22.10.2020</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 114क1 हेतु पेश है।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 114क1:–</u>

प्रार्थना पत्र 114क1 मय शपथ पत्र वादी द्वारा अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित आदेश 6 नियम 17 जा0 दी0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वाद उपरोक्त में प्रतिवादी सं01 मुस्तफा का देहान्त दौरान मुकदमा दिनांक 06.10.2018 को हो गया है जिनके जायज वारिसान व कायम मुकामान में कोई नहीं है पत्नी का देहान्त पहले ही हो चुका है, पुत्र अथवा पुत्री नहीं थी। मृतक अपने पिता की एकमात्र सन्तान थी उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वाद पत्र में आवश्यक संशोधन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः वाद पत्र में वॉछित संशोधन किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थी मु0 उमर द्वारा प्रार्थना पत्र 117ग2 प्रस्तुत कर उपरोक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध विस्तृत आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र कायम मुकामी जानबूझकर गलत दी गयी है जो पोषणीय नहीं है। मृतक मुस्तफा के कोई लड़की, लड़का नहीं था लेकिन मुस्तफा ने अपने जीवनकाल में अपनी सम्पत्ति की बावत एक पंजीकृत वसीयतनामा अपने रिश्तेदारान रियाज अहमद, निजाम अहमद, अयाज अहमद व मो0 जिकिरिया पुत्रगण सेराज अहमद निवासीगण मौजा दौलतपुर काजी परगना व तहसील – टाण्डा जिला अम्बेडकरनगर के पक्ष में लिख दिये थे। मुस्तफा के मरने के बादत मुस्तफा द्वारा लिखी गयी वसीयतनामा बहक रियाज अहमद आदि के आधार पर उनकी आराजियत पर रियाज अहमद आदि का नाम कागजात सरकारी में दर्ज हो चुका है। मुस्तफा द्वारा रियाज अहमद आदि के पक्ष में लिखे गये दस्तावेज वसीयतनामा के आधार पर मुस्तफा के सम्पत्ति पर मुस्तफा के मरने के बाद रियाज अहमद आदि का कब्जा व दखल है। रियाज अहमद आदि मुस्तफा के कायम मुकामान है। अतः वाद में रियाज अहमद आदि को मुकाम मुकामान बनाये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 114ग प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं01 मुस्तफा का कोई वारिसान न होने का कथन किया गया है जिसके विरूद्ध प्रतिवादी सं09 मो0 उमर के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि मृतक मुस्तफा का कोई वारिसान नहीं था लेनिक मुस्तफा ने अपनी जीवनकाल में अपनी सम्पत्ति के बावत एक पंजीकृत वसीयतनामा अपने रिश्तेदारान रियाज अहमद, निजाम अहमद, अयाज अहमद व मो0 जिकिरिया पुत्रगण सेराज अहमद के पक्ष में लिख दिया था। प्रतिवादी सं09 मो0 उमर द्वारा अपनी आपत्ति के समर्थन में सूची सबूत कागज सं0 122ग से वसीयतनामा की छायाप्रति व सूची सबूत 124ग से दाखिल खतौनी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया गया है। उद्धरण खतौनी 125ग के अवलोकन से विदित होता है कि मृतक मुस्तफा का नाम खारिज करके रियाज अहमद, निजाम अहमद, अयाज अहमद व मो0 जिकिरिया पुत्रगण सेराज अहमद का नाम पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर अंकित किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि मृतक मुस्तफा के वारिसान जरिए वसीयतनामा उनके रिश्तेदार रियाज अहमद, निजाम अहमद, अयाज अहमद व मो0 जिकिरिया पुत्रगण सेराज अहमद है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र 114ग त्रुटि पूर्ण है, त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 114क1 निरस्त किया जाता है। वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह विधिनुसार मृतक मुस्तफा के कायम मुकामी प्रार्थना पत्र अन्दर सप्ताह प्रस्तुत करे। पत्रावली वास्ते कायम मुकामान प्रार्थना पत्र दिनांक 04.11.2020 को पेश हो।

सिविल जज जू0डि0, टाण्डा

अम्बेडकरनगर।

जे0ओ0 कोड0 यूपी2353